भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

सत्यमेव जयते

ई-न्यूज़लेटर
E-NEWSLETTER

भादूविप्रा TRAI

जुलाई 2021

डॉ. पी.डी. वाघेला, अध्यक्ष, भादूविप्रा और श्री डिक क्रिस्टोफ एन.जी. एस.यू.आई डबल्यु.ए, अध्यक्ष, सूचना एवं सम्प्रेषण प्रोद्योगिकी प्राधिकरण (आईसीटीए), मॉरिसस के बीच 7 जुलाई 2021 को आयोजित एक वर्चुअल बैठक में आशय पत्र के रूप में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

1. विनियम

1.1 भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जारी किया

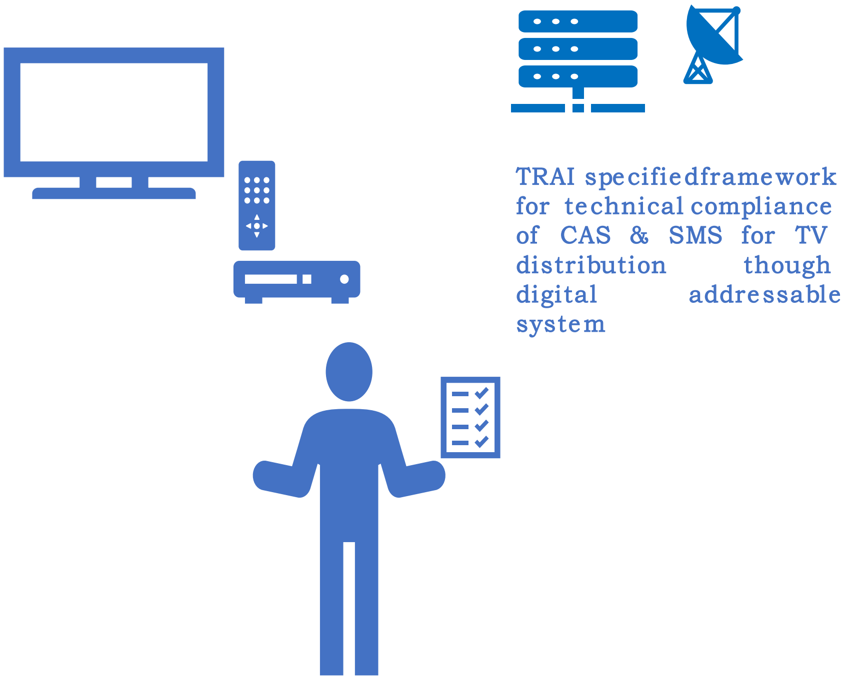

डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली ने संबोधनीयता, पारदर्शिता, ग्राहकों के लिए उच्च चैनल वहन क्षमता को सक्षम बनाया। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सी ए एस) एवं सब्स्क्राइबर मेनेजमेंट सिस्टम (एस एम एस) डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के मूल तत्व हैं। फिर भी गैर-मानक सीएएस और एसएमएस की तैनाती टीवी वितरण को हैकिंग के प्रति संवेदनशील और कंटेंट गोपनीयता को खतरे में डालते हैं। कुछ मामलों में यह देखा जाता है कि वितरक नई विनियामक रूपरेखा की अनुपालना करने में सक्षम नहीं थे। कुछ वितरकों ने गैर मानक प्रणालियों में सहायता संबंधी मुद्दों को उठाया था।

इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए भादूविप्रा ने सीएएस और एसएमएस के लिए न्यूनतम संदर्भ/मानदण्डों को निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस की। इस संबंध में भादूविप्रा ने उचित परामर्श के बाद 11 जून 2021 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (तीसरा संशोधन) विनियम 2021 को जारी किया जो सीएएस और एसएमएस की तकनीकी अनुपालना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। उक्त रूपरेखा को अंतर्संयोजन विनियम, 2017 में अनुसूची 9 के रूप में समाविष्ट किया गया है।

रूपरेखा का कार्यान्वयन और निगरानी एक जांच एवं प्रमाणन एजेंसी के माध्यम से की जाएगी, जिसकी सलाह बाद में प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी।

रूपरेखा से दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र और ग्राहकों को कुछ महत्वपूर्ण लाभों को प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। कुछ मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

i) यह रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विशिष्टताओं के एक स्वदेशी सेट को परिभाषित करने का पहला कदम है।

ii) सीएएस और एसएमएस का एक मजबूत संकालित कार्य, जैसा कि रूपरेखा में निर्धारित है, उपभोक्ता आधार, आदि की तथ्यात्मक जानकारी को सक्षम बनाएगा। यह हितधारकों को त्रुटिपूर्ण शुल्क की जानकारी के कारण होने वाली आय की हानि को कम करेगा। बकाया आय की बेहतर सुनिश्चितता हितधारकों को कंटेंट और सेवा की गुणवत्ता में आगे सुधार के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे अंतिम उपभोक्ता को लाभ होगा।

iii) यह रूपरेखा वितरण मूल्य श्रंखला में कंटेंट की बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगी। बदले में यह अंतर्राष्ट्रीय कंटेंट निर्माण समुदाय को आत्मविश्वास प्रदान करेगा और भारतीय टेलीविजन दर्शकों को बेहतर गुणवत्ता, हाई डेफिनेशन कंटेंट की उपलब्धता को बढाने का मार्ग प्रसस्त करेगा।

iv) इस रूपरेखा से शुरू से लेकर अंत तक अनुपालना में सुधार होगा और सेवा प्रदाताओं के बीच कानूनी मुकदमे कम होंगे।

https://trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_11062021.pdf

2. ओपन हाउस चर्चा

2.1 'कम बिट रेट की एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंस की रूपरेखा' पर ओपन हाउस चर्चा का आयोजन किया

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 जून 2021 को 'कम बिट रेट की एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंस की रूपरेखा'पर एक ओपन हाउस चर्चा का आयोजन किया।

2.2 भादूविप्रा ने 'ब्रोडबैंड कनेक्टिविटी के संवर्धन के लिए रूपरेखा' पर अतिरिक्त परामर्श पत्र पर ओपन हाउस चर्चा का आयोजन किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 23 जून 2021 को 'ब्रोडबैंड कनेक्टिविटी के संवर्धन के लिए रूपरेखा' पर परामर्श पत्र पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया।

3. नए सचिव ने कार्यभार ग्रहण किया

4. महत्वपूर्ण घटनाएँ

डॉ. पी.डी. वाघेला, अध्यक्ष, भादूविप्रा ने 21 जून 2021 को पीटीएस, स्वीडन द्वारा आयोजित "सभी के लिए ब्रॉडबैंड" पर वर्चुअल कार्यक्रम में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

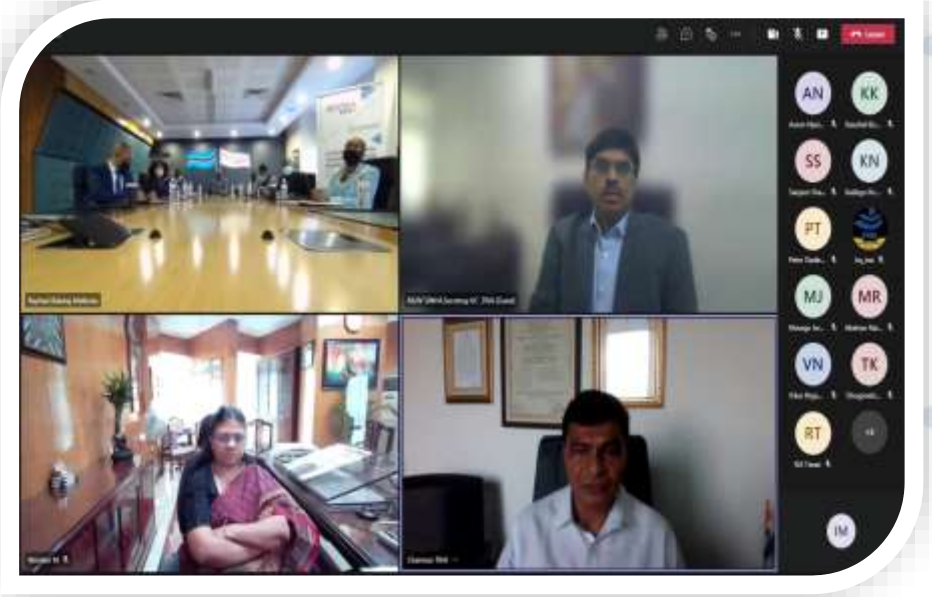

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) और बोत्सवाना संचार विनियामक प्राधिकरण (बीओसीआरए) के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

डॉ. पी.डी. वाघेला, अध्यक्ष, भादूविप्रा, और एच.ई. त्सेओन रुथ थीब, बोर्ड अध्यक्ष, बी.ओ.सी.आर.ए. ने वर्चुअल रूप से 22 जून 2021 को समझौते पर हस्ताक्षर किए।

चैनल सेलेक्टर पोर्टल का शुभारंभ

पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा भादूविप्रा के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्यताएं हैं। टेलीविजन और प्रसारण क्षेत्र के लिए भादूविप्रा के नए विनियमों/आदेशों ने उपभोक्ताओं को उन चैनलों का चयन करने की स्वतंत्रता दी जिन्हें वे देखना चाहते हैं।

प्रसारण सेवाओं के लिए नए शुल्क आदेश के जारी करने के बाद यह देखा गया कि ग्राहक उनके संबंधित वितरित प्लेटफॉर्म संचालकों (डीपीओ) के वेब पोर्टल/एप्प पर अपनी पसंद के टीवी चैनलों/चैनल समूहों का चयन करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भादूविप्रा ने एक मोबाइल एप्प का निर्माण किया और इसे पिछले वर्ष लॉन्च किया। अब भादूविप्रा ने 16 जून 2021 को एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया। एप्प और पोर्टल दोनों एपीआई के माध्यम से संबंधित डीपीओ प्लेटफॉर्म से डेटा को प्राप्त करने के लिए टेलीविजन उपभोक्ताओं को एक विश्वसनीय, मजबूत और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करते हैं। एप्प और पोर्टल दोनों की प्रमुख विशेषता है डीटीएच/केबल ऑपरेटर के पास भेजने से पहले सब्सक्रिप्शन को ईष्टतम बनाना, ताकि उपभोक्ताओं को उनके पैसे का सही मूल्य प्राप्त हो। उपभोक्ताओं को उनके रजिस्ट्रड मोबाइल नम्बर (ओटीपी) के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। यदि एक उपभोक्ता के पास डीपीओ के साथ रजिस्ट्रड मोबाइन नम्बर नहीं है तो उसे उसके टीवी स्क्रीन पर ओटीपी प्राप्त होगा।

पोर्टल में डाउनलोड सुविधा और उपभोक्ताओं की निम्न में सहायता करने के लिए वर्तमान एप्प की सभी विशिष्टताएं मौजूद हैं:

क) स्वयं के सब्सक्रिप्शन की जांच करना

ख) उनके डीटीएच/केबल ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए गए सभी चैनलों/चैनल समूहों को देखना।

ग) केवल रूची के चैनलों का चयन करना और अनचाहे चैनलों को हटाना।

घ) ऑप्टिमाइज़ सॉल्युशन्स प्राप्त करना।

ड़) लागू एनसीएफ में चैनलों को जोड़ने की सुविधा।

च) वर्तमान सब्सक्रिप्शन को बदलने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति देना।

छ) अपने सब्सक्रिप्शन आग्रह की स्थिति को वास्तविक समय में देखना।

ज) चालू सब्सक्रिशन, पेशकशों और सब्सक्रिप्शन आग्रह को डाउनलोड और प्रिंट करना।

चैनल सेलेक्टर वेब पोर्टल इस लिंक पर उपलब्ध है: https://channelselector.trai.gov.in. मोबाइल फोन के लिए चैनल सेलेक्टर एप्प गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप्प स्टोर दोनों पर उपलब्ध है।

5. दूरसंचार सब्सक्रिप्शन

3.1 दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डेटा 31 मई 2021 तक

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल
शहरी टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	641.48	19.70	661.18
ग्रामीण टेलीफोन ग्राहक (मिलियन में)	535.36	1.96	537.32
कुल टेलीफोन ग्राहक (मिलियन में)	**1176.84**	**21.66**	**1198.50**
कुल टेलीफोन-घनत्व (%)	86.25	1.59	87.84
शहरी उपभोक्ताओं का हिस्सा (%)	54.51	90.93	55.17
ग्रामीण उपभोक्ताओं का हिस्सा (%)	45.49	9.07	44.83
ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	757.53	22.74	780.27

मई 2021 में पीक वीएलआर की तिथि को सक्रिय वायरलेस सब्सक्राइबर 986.11 मिलियन थे।

मई 2021 में 7.28 मिलियन ग्राहकों ने एमएनपी के लिए अनुरोध किया था। मई 2021 के अंत तक, कुल 593.61 मिलियन उपभोक्ताओं ने इसके लागू होने के बाद से एमएनपी सुविधा का लाभ उठाया है।

6. अन्य जानकारी

4.1 30 जून 2021 को रिट याचिका (एल) संख्या 116/2020, "द फिल्म एण्ड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम भादूविप्रा एवं अन्य" के मामले में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है।

यह निर्णय भादूविप्रा और प्रसारण एवं केबल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई उच्च न्यायालय ने भादूविप्रा को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की हैं।

I) न्यायालय ने भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(2) की संवैद्यानिक वैद्यता को दी गई चुनौति को खारिज करते हुए प्रसारण क्षेत्र को विनियमित करने की प्राधिकरण की शक्ति को बरकरार रखा।

II) न्यायालय ने 2020 की विनियामक रूपरेखा की संवैद्यानिक वैद्यता को इस अपवाद के साथ बरकरार रखा कि शुल्क आदेश 2020 में दूसरे संशोधन के अनुच्छेद 3(3) के तीसरे प्रतिबंध द्वारा निर्धारित दूसरी दोहरी शर्त को विवेकाधीन मानते हुए हटा दिया जाएगा।

उक्त शर्त निम्नलिखित प्रावधान करती है:-

"(ख) एक चैनल समूह में शामिल अलग अलग भुगतान चैनलों की अधिकतम रिटेल कीमत किसी भी मामले में उस समूह के एक भुगतान चैनल की औसत मासिक कीमत से तीन गुणा से अधिक नहीं होगी।" न्यायालय ने इस शर्त को हटा दिया जबकि शेष प्रावधान की वैद्यता को बरकरार रखा।

इस दोहरी शर्त का पहला भाग न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है जो प्रावधान करती है, *"(क) चैनलों के एक समूह में शामिल अलग-अलग भुगतान चैनलों की अधिकतम मासिक कीमतों का योग किसी भी मामले में इस प्रकार के चैनल समूह की अधिकतम मासिक रिटेल कीमत का डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगा।"*

III) इसके अतिरिक्त न्यायालय ने दिनांक 20 अगस्त 2020 के अंतरिम आदेश को 30 जून 2021 से छह सप्ताह के लिए बढा दिया है, और भादूविप्रा को निर्देश दिया है कि 30 जून 2021 से उक्त छह सप्ताह की विस्तारित अवधि तक 2020 की विनियामक रूपरेखा को लागू न करने के लिए कोई भी बलपूर्वक कार्यवाही न की जाए।

इस न्यूजलैटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट ***www.trai.gov.in*** *पर भी उपलब्ध है।*

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिंटो रोड़) नई दिल्ली–110002

हम फेसबुक पर भी हैं! जुड़िये हमारे साथ!

https://www.facebook.com/TRAI/

हम ट्विटर पर भी हैं! आइये हमारे साथ! *TRAI@TRAI*

भादूविप्रा TRAI